

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड—(ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 462] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 1970/वीष 8, 1892

No. 462] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 1970/PAUSA 8, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग सकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December 1970

S.O. 4098.—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Registration of Electors Rules, 1960, namely:—

1. *Short title.*—These rules may be called the Registration of Electors (Second Amendment) Rules, 1970.

2. *Amendment of rule 26.*—In rule 26 of the Registration of Electors Rules, 1960 (hereinafter referred to as the "said rules"), in sub-rule (1), for the words "a fee of fifty paise", the words "a fee of ten paise" shall be substituted.

3. *Amendment of rule 27.*—In rule 27 of the said rules, in clause (b) of sub-rule (1), for the words "a fee of three rupees", the words "a fee of one rupee" shall be substituted.

[No. F. 7(26)/70-Leg.II.]

K. K. SUNDARAM, Jt. Secy.

विधि मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर 1970

का० प्रा० 4098—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—ये नियम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

2. नियम 26 का संशोधन :—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है) के नियम 26 में, उप-नियम (1) में “पचास पैसे की फीस” शब्दों के स्थान पर “दस पैसे की फीस” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. नियम 27 का संशोधन :—उक्त नियम के नियम 27 में, उप-नियम (1) के खण्ड (ख) में, “तीन रुपए की फीस” शब्दों के स्थान पर “एक रुपए की फीस” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० फा० 7(26)/70-वि०-II]

के० के० सुन्दरम्, संयुक्त सचिव।